THE CONSTITUTION (AMENDMENT BILL, 1992

(insertion of new article 117A)— contd.)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 20 दिसम्बर, 1991 को मैंने इस विधेयक पर बोलना प्रारम्भ किया था और मैं खास करके ऐसी चीज की याद दिला रहा था कि 1991 का वर्ष हमारे लिये हमेशा स्मरणीय रहेगा, हर तरफ से जब कि हमारे देश में सरकार होते हुए भी नहीं के बराबर थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई उदाहरणों को सामने रखते हुए हम लोगों ने उस वक्त एक प्रायः मृत घोड़े को बग्घी के सामने बांधकर सरकार को चलाने की कोशिश की थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के उदाहरण को सामने रखकर हमने वोट आन एकाउंट लेने की कोशिश की, क्योंकि लोक सभा की हालत खराब थी, देश में राजनीतिक उथल-पुथल थी और राज्य सभा होने के बावजूद भी, जोकि कभी डिसाल्व नहीं होती है, हमारे पास वह शक्ति नहीं थी कि हम इस देश के भाग्य का निर्धारण कर सकते। इस देश के आर्थिक मामलों में निर्णय करन का या मनी बिल के बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्य सभा को नहीं है। यह अधिकार नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे कारण हैं। प्रश्न यह भी उठ सकता है कि यह बात राज्य सभा के एक सदस्य, एक महत्वपूर्ण सदस्य, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, रजनी रंजन साहू जी, उनके जहन में यह क्यों उठा, कैसे उठा। विश्व के जितने भी जनतांत्रिक देश हैं, जहां पर पार्लियामेन्ट की, संसद् की परंपरा है अगर उसको मद्देनजर रखा जाय, तो बड़ बड़े देशों में भी आज तक ऐसी परम्परा नहीं है, जैसा कि रजनी रंजन साहू जी कह रहे हैं। प्रश्न आ सकता है कि कनाडा में, आस्ट्रलिया में, जापान में, आयरलैण्ड में और दूसरी जगहों पर सीनेट को इतनी पावर नहीं है। बावजूद इसके फिर भारत की संसद् को यह शक्ति देने का प्रश्न क्यों उठ रहा है? इसको उठाने के पीछ बहुत सारे कारण हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, 1991 का साल भारत के राजनैतिक इतिहास में जब उभरगा, तो कहीं यह कलंकित इतिहास के नाम पर उभरेगा, कहीं पर काल इतिहास के नाम पर लिखा जायेगा और कहीं पर स्वर्णअक्षरों में लिखा जायेगा। एक साल के अन्दर कितन ही प्रकार के अक्षर होंगे और कितनी ही रोशनाइयां पड़ेंगी। जब हम विश्वनाथ प्रताप सिंह का इतिहास लिखने बैठेंगे तो उनके इतिहास में कुछ और लिखना पड़ेगा और जब हम दूसरा इतिहास लिखेंगे, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि किस तरह के कुचक्र में पड़कर हमारे देश के एक नौजवान नेता और न सिर्फ हमारे देश के बल्कि थर्ड वर्ल्ड, अण्डर डेवलप्ड कन्ट्रीज के नेता राजीव गांधी की किस तरह से नृशंस हत्या हुई। इसका भी हमें इतिहास लिखना पड़ेगा। और उस नृशंस हत्या का फल क्या हुआ, उसका प्रतिबिंब भारत के राजनैतिक इतिहास पर कैसे उभर कर आया है, वह भी हमें लिखना पड़ेगा। और उसको लिखने के लिये हम मजबूर होंग। इस लिखावट के बीच में हमारे मित्र रजनी रंजन साहू जी ने हमारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की मांग की है और मैं समझता हूं कि यह एक सही मांग है। महोदय, यह सही मांग इसलिये है कि अगर राज्य सभा को यह अधिकार होते कि वह आर्थिक बिलों पर भी, मनी बिलों पर भी सिर्फ बहस ही नहीं कर सकता, बल्कि उसे पास भी कर सकता है, तो शायद लोक सभा और राज्य सभा के बीच में जो विदकरा है, जो दरार है, वह कम होती और जो फर्क है, वह भी कम हो जाता। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बनाये हुए कांस्टीट्शन में जो कुछ है, वहां पर हाऊस आफ कामन्स और हाऊस आफ लार्ड्स, दो सदन हैं, उसी परम्परा पर यहां पर भी दो चैम्बर बनाये गये। एक को हाऊस आफ एलर्डस कहा गया, जिसको हम कौंसिल आफ स्टेट्स कहते हैं और दूसरा हाऊस आफ पीपुल्स कहा गया, जिसको हम लोकसभा कहते हैं जो ब्रिटिश लोगों की नजरों में हाउस आफ कामंस के रूप में जाना जाता है। उपसभाध्यक्षमहोदय, ये दो चेम्बर तो जरूर

बनाये गये पर इनमें काफी फर्क है। कभी कभी वे लोग हमारे इस हाउस आफ एलडर्स, कौंसिल आफ स्टेट्स की तुलना हाउस आफ लार्ड्स से करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। जब मैं सदन में देखता हूं तो पाता हूं कि यहां ऐसे लोग भी सदस्य हैं जिन्होंने फ्यूडिलिज्म के खिलाफ आंदोलन किया है, जिन्होंने फ्यूडिलिज्म के खिलाफ आंदोलन करते हुए जेलों की यातनायें सही हैं। इतना ही नहीं वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लड़े और अपने-अपने इलाकों में वहां के जमींदारों और राजा-महाराजाओं के खिलाफ भी लड़े, पूंजीपतियों के खिलाफ भी लड़े। उपसभाध्यक्ष महोदय, वे भी आज गर्व महसूस करते हैं कि वह भी राज्य सभा के सदस्य हैं। एक साधारण आदमी भी यहां का सदस्य है। इसलिए इसकी तुलना हाउस आफ लार्डस से तुलना करना बहुत बड़ी गलती होगी। महोदय, हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हमें बहुत सारी ताकतें दी गई हैं। जो परम्परा आज यहां चल रही है वह परम्पर सैकड़ों वर्ष पहले ब्रिटिशर्स के यहां भी चलती थी और वहां भी एसे ही नियम थे जैसे कि यहां हैं। पर क्यों थे और कैसे थे, ऐसी बात नहीं है कि वहां भी शुरुआत एसे ही हुई थी। प्रश्न यह है कि हाउस आफ लार्ड्स और हाउस आफ कामन्स में फर्क क्यों जागा? एक दिन प्रश्न-चिह्न उठ गया कि एकाउन्टेबल हाउस आफ कामन्स ज्यादा है और हाउस आफ लार्ड्स के लोग कम हैं। वे लोग अपने आप को रिस्पोंसिबल कम समझते हैं और ये लोग ज्यादा समझते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्नचिह्न उठा और उसी प्रश्न को लेकर यह विभेद उठा। इस विभेद ने एक कानून का रूप ले लिया। सन् 1678 में हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स के बीच एक द्वन्द उठा और उस द्वन्द ने कानून का रूप ले लिया और उसी कानून की कार्बन कापी को लेकर हम चल रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे पास पहले भी अधिकार नहीं है कि हम किसी मनी बिल को पास कर सके। लेकिन हमने देखा है कि पास करने की बात को तो छोड़िये, पिछले कई सालों में, पिछले दो-तीन सालों में मैंने यहां देखा है कि यहां पर बिना बहस के ही बिल पास कर दिये जाते हैं। यह ठीक है कि बहस के माध्यम से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहस के माध्यम से संसद सदस्य अपना अंकुश दुराचार और भ्रष्टाचार के ऊपर तो लगा सकते हैं। वह अंकुश क्या है? कोई एम०पी० अपने दांत गाढ़कर किसी को काटने तो नहीं जाता, लेकिन किसी को दांत दिखा सकता है, भय दिखा सकता है और वह भय दिखा कर ही किसी अफसर या किसी मंत्री को बाध्य कर सकता है कि तुम सीधे रास्ते पर चलो। जनता तुम्हारे सामने नहीं बैठी है, इसका मतलब यह मत सोचो कि यहां पर जनता के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वे या तो अंधे हैं या गूंग हैं य बहरे हैं। इस बहस के माध्यम से उनमें जो दोष हैं उनमें सुधार लाया जा सकता है।

इस बात पर शर्म आती है जब हम सदन में बैठ कर ऐसे मुद्दों को, फाइनेंस बिल को, वित्त बिल को, बिना बहस के पास कर देते हैं, एक सेकन्ड में अरबों, खरबों के बिल पास कर देते हैं। यह कैसी जिम्मेदारी है जब कि हमको यह अधिकार भी नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह उदासीनता इसलिए है कि हमको इस संबंध में पूर्ण अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इसलिए इस सदन को पूर्ण अधिकार मिलने चाहिये और तब यहां का सदस्य अपने आप को पूरी तरह से जागरूक और जिम्मेदार समझ कर, अभी भी वह जिम्मेदार है, लेकिन तब और ज्यादा जिम्मेदार समझकर इस बहस में हिस्सा लेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 के तहत हर एक मनी बिल जो लोक सभा से पास किया जाता है तो वहां भी थोड़ा अंकुश राष्ट्रपति का लगा हुआ है और राष्ट्रपति का अंकुश क्या है कि बिना उनकी रिकमेंडशन के पैसा रिलीज नहीं हो सकता है। सिर्फ एक बजट के लिए ही ऐसा प्रावधान है कि जिसके लिए उन्हें किसी रिकमेन्डेशन की जरूरत नह। पड़ती है या किसी रुकावट की जरूर

[श्री सुरेन्द्र सिंह अहलूवालिया]

नहीं पड़ती है। वह सदन अपना फैसला कर देता है। मैं समझता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने जो कार्बन कापी अपने संविधान की सारे विश्व में फैलाई, जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी के शिकंजों को तोड़ने के लिए हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने आन्दोलन किये और जिसके लिए उन्होंने जेलों की सलाखों के पीछे अपनी जवानी गुजारी, उसके पीछे इसका भी एक कारण था। हमारे संविधान में जो त्रुटि रह गई, जो अधिकार आज तक हमको नहीं मिले, जो अधिकार राज्य सभा के सदस्य को आज तक नहीं मिले, श्री रजनी रंजन साहू जी ने इस चीज को सामने लाकर इसलिए रखा है कि क्योंकि उन्होंने महसूस किया, इसके पहले यह महसूस नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसी राजनैतिक अवस्था इस देश में नहीं आई थी। कभी इतनी राजनीतिक अस्थिरता का इस देश को सामना नहीं करना पड़ा था। पर इस राजनीतिक अस्थिरता ने हमारी इन खामियों को उद्धृत करते हुए हमारी आंखों के सामने रखा है। इन खामियों को दूर करने के लिए मैं समझता हूं संविधान में यह संशोधन करना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है कि आज का राज्य सभा का सदस्य किसी स्टेट का जमींदार या मालिक नहीं है। वह कोई राजा या महाराजा नहीं है। आज का इस राज्य सभा का सदस्य जमीन से उभर कर आता है। जनता से जुड़ा हुआ है। जनता की तकलीफों के लिए लड़ता है, जनता की तकलीफों को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। समाज में सुधार लाने की कोशिश करता है और इलेक्शन के माध्यम से आता है। आप अगर यह कहें कि जनता तो चुनती नहीं है एक राज्य सभा के सदस्य को तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक एम०पी० को चुनने के लिए एक लाख से साढ़े सात लाख वोटर आते हैं और इसी तरह से एक एम.एल.ए. को एक लाख से दो लाख वोटर्स से चुना जाता है उनके 40–45 एम०एल०ए० के समर्थन से हम यहां सदस्य बनकर आती हैं। इसका अर्थ हुआ कि 80 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। करीब-करीब एक करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व एक राज्य सभा का सदस्य करता है। यह बात तब उठी है जब हमारे ऊपर प्रश्नचिन्ह् लगाया जाता है। इस देश के राष्ट्रपति भी एम०एल०ए० और एम०पीज द्वारा चुने जाते हैं तो उनकी रिकमेंडेशन के बगैर क्यों नहीं लोकसभा की कार्रवाई होती है? क्यों उनको पूरी महत्ता दी जाती है?

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : प्रधान मंत्री कौन चुनता है?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : राष्ट्रपति को भी एम०एल०ए० और एम० पी० चुनते हैं और एक राज्य सभा के सदस्य को भी एम०एल०ए० चुनते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि उनकी जिम्मेदारी में और एक सदस्य की जिम्मेदारी में कोई फर्क आ जाता है। हो सकता है कुर्सी का फर्क हो। हो सकता है स्टेट्स का फर्क हो। पर देश के प्रति दूरदर्शिता या देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता।

इन सभी चीजों को आपके सामने रखते हुए मांग करता हूं और पूरे सदन से गुजारिश करता हूं कि हमारे हक की बात है। जो गलत प्रचार बाहर हो रहा है, लोगों में गलत धारणा फैली हुई है कि राज्य सभा का सदस्य जनता से जुड़ा हुआ नहीं है और वह हाउस आफ लार्डस है या हाउस आफ एन्डर्स है, गलत है। यह धारणा तोड़ने के लिए जरूरी है कि यह अधिकार सदस्य को मिलना चाहिए इस सदन को मिलना चाहिए। इस के साथ मैं इस संशोधन का पूरा समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इसके लिए युनेनिमसली डिसिजन लेना चाहिए और पूरे हाउस से इसको पास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

*Dr. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Vice Chairman Sir, there is a proverb in Telugu :

"Angatto anni unna Alludi notlo sani" which means everything is available but

*English translation of the original speeech delivered in Telugu.

Sani graha is right at the door step to obstruct. This is the situation of Rajya Sabha. The prestigious House, the Upper House or the House of Elder as it is known, has not been given powers in relation to the financial matters and financial Bills. The financial matters on which depends the future of over eighyt crore people of our country, are beyond the powers of this House. Incidentally many a time it so happend that the Finance Ministers were members of Rajya Sabha. Our present finance Minister Dr. Man Mohan Singh who made revolutionary cha nges, is a Member of our House. During Shri Chandra Shekhar's government, Shri Yashwant Singh was the Finance Minister and he is a member of our House. There are many others like Shri S.B. Chavan, Shri N.D. Tiwari, Shri Pranab Mukherjee etc. who all held the post of Finance Minister and were all members of the Rajya Sabha. Inspite of all this the Rajya Sabha has no say regarding the financial matters. Why is it so ? The actual reason is different but the reasons given are that the strings of the purse must be with the House elected directly by the people that is Lok Sabha. Therefore Lok Sabha is given more powers as far as the financial matters are concerned. Since the Rajya Sabha members are not directly elected by the people, they are not given any powers as far as the financial matters are concerned. But I totally disagree. If a Lok Sabha member is elected directly by the people, the Rajya Sabha member is elected by the people's representatives.

3.00 P. M.

A Lok Sabha member is elected by the voters of seven assembly constituencies where as a Rajya Sabha member as in Andhara Pradesh is elected by the representatives of 43 Assembly constituencies. So it is not fair to say that only Lok Sabha members are directly elected by the people and so they are given more powers. It is unfair to give less importance to the Rajya Sabha. But then why is it given less importance ?

Our Constitution makers have adopted almost 80 percent provisions from the British Constitution while drafting the Constitution. Our Constitution was modelled on the British Constitution. So we have adopted as many provisions as possible in our Constitution. The British Constitution provides for the House of Lords and the House of Commons. The Rajya Sabha was created with the view that it would be just like the British House of Lords. So the same provisions were adopted in our Constitution for Rajya Sabha barring a few exceptions.

Since the House of Lords was not given any powers in financial matters and as Rajya Sabha was modelled on the House of Lords, it too was not given the financial powers.

Let us go back to the History of England. Why and how these powers were denied to the House of Lords? Before 1911 the House of Lords and the House of Commons both enjoyed equal powers in financial matters. In 1909 a financial Bill was defeated in the House of Lords. The King who was ruling at that time was annoyed and caused to be introduced a Bill depriving the House of Lords of financial powers and made it an Act in 1911. So after that the House of Lords ceased to enjoy powers in financial matters and since we have copied the same provisions in our Constitution, Rajya Sabha too does not have any powers in financial matters. This is the actual reason. As Honorable Member Shri Ahluwalia has also said, it is unfair to treat Rajya Sabha at par with the House of Lords. In our Country the situation is different. Members of Lok Sabha can be elected as Members Rajya Sabha and in the same way the members of Rajya Sabha can become Members of Lok Sabha. For example, Shri L.K. Advani and Shri Vajpayee were members of Rajya Sabha and are now elected as members of Lok Sabha. That is why Rajya Sabha cannot be compared with the British House of Lords. Apart from that the Rajya is a continuous body and not subject to dissolution.

Money plays an importat role. We need money for everything we do. So money matters are important. In situations when Lok Sabha is dissolved Bills are kept pending and the work is paralysed for lack of funds. So, if Rajya Sabha is also given powers such situations can be avoided. At present the budget is required to be presented only to the Lok Sabha. Demands for grants are also required to be made to the Lok Sabha. After the Lok Sabha votes on the demands and passes the Appropriation Bills the Rajya Sabha comes into picture.

So Sir, from whichever angle you see, it is quite justified to give financial powers to Rajya Sabha. As we have been amending the provisions in our Constitution as and when required we should also consider to insert this provisions also in the Constitution. Both Houses enjoy equal powers as far as ordinary Bills are conconcerned. It is obly in the case of financial matters that the Rajya Sabha has no powers though these matters are of more importance. So similar powers should be conferred on Rajya Sabha with a view to over coming temporary financial difficulties which may occur as a result of the of the dissolution of the Lok Sabha. So I whole hear tedly support the Constitu-

DR. NARREDDY THULASI REDDY

tion (Amendment) Bill, 1991 moved by Shri Rajni Ranjan Sahu and Thank you Sir for giving me an opportunity to express my views on this Bill.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सदन के विद्वान और सर्वाधिक काईट दृष्टि से सुंदर व्यक्तित्व . . . (व्यवधान)

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : व्यक्तित्व सुंदर है, भावना में भी सुंदर हैं, वैसे भी सुंदर हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : आप कितने विशेषण लगा रहे हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हम विश्लेषण कहां लगा रहा हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : विशेषण, नाट विश्लेषण। (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं कहां लगा रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Dr. Pandey, is it only a good-neighbourly comment?

कुमारी सरोज खापर्डे : आप उनकी इतनी स्तुति कर रहे हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : नहीं, नहीं, आपकी भी करेंगे।

माननीय रजनी रंजन साहू जी ने संविधान संशोधन विधेयक, 1991, भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाये हैं और संविधान के अनुच्छेद 117 के पश्चात् 117क अनुच्छेद की अन्तःस्थापना और जो राज्य सभा को विशेष वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए कतिपय मामलों से संबंधित हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में हजारों वर्षों की पराधीनता ने हमें विवश कर दिया था कि जब हम स्वतंत्र हों, तो स्वतंत्रता के बाद जो जनतांत्रिक मूल्य और परम्परायें दुनियां में चल रही थीं, चाहे वह आयरलैंड का हो, चाहे आस्ट्रेलिया का हो, चाहे जापान का हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम का हो, उन सब के संविधान के जो अच्छे तत्व थे, उनके लेकर हमारे पूर्ववत संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की संरचना की, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के अनुकूल भारत की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए अपने अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत बोधगम्य विवरण एक आचार-संहिता के रूप में दिया गया है।

अच्छा होता, हम अपने संविधान निर्माताओं के प्रति जितना जम कर सम्मान प्रस्तुत करें, इतने ही हम कृतज्ञ राष्ट्र माने जायेंगे। लेकिन अच्छा होता कि हम याज्ञबल, चाणक्य, मनु और जो अपने राष्ट्र के भारतीय नीतियों, कृतियों के संविधान निर्माता थे, उनकी जो शिक्षायें थीं, उनके जो व्यवस्था विधान थे, उनको जनतांत्रिक प्रणाली की कसौटी पर कस करके हम संविधान का स्वरूप निर्मित करते, तो वह भारत के कोटि-कोटि नागरिकों के मनोनुकूल होता और उनकी प्रकृति के सर्वथा व्यावहारिक गुणों में सम्पन्न होता।

राज्य सभा और लोक सभा संसद के दो स्वरूप हैं। लोक सभा के प्रत्येक मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजता है और राज्य सभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधान सभाओं के, वे राज्य सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उस दृष्टि से देखा जाए, तो जहां 5–7 लाख के बीच में लोक सभा का सदस्य चुन कर आता है, वहीं राज्य सभा का सदस्य कम से कम सवा करोड़ या डेढ़ करोड़ मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है।

हम इसे सर्वोच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, हाउस आफ लार्डस कहते हैं, राज्य सभा कहते हैं और यहां जो प्रतिनिधि चुन कर के आते हैं, वह भारतीयों के प्रतिनिधि होकर आते हैं और वे विशुद्ध जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भ्रम और धारणा कि राज्य सभा की सदस्यता कभी-कभी लोग भ्रमवश,

अज्ञानतावश कहते हैं कि बैकडोर से संसद की सदस्यता पाने के लिए राज्य सभा है, यह भ्रम मिटा देना चाहिए और ऐसी बातें कहने वाले इस सर्वोच्च सदन के सदस्यों का जो अपमान और तिरस्कार करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं।

जहां तक रजनी रंजन साहू जी के संविधान संशोधन विधेयक का प्रश्न है, जैसे अभी कहा गया है कि इतने वित्त मंत्री राज्य सभा देती है चाहे हमारे यशवन्त सिन्हा जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी हों, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हों, वित्त मंत्री हम देते हैं प्रायः और कुछ लोग अपवाद भी हो सकते हैं। दो-दो, तीन-तीन तो वित्त मंत्री इस सदन के नेता रहे, लेकिन जब वित्तीय प्रावधान का प्रश्न आता है तो राज्य सभा को दूसरे नंबर की चीज समझा जाता है। हमारे संविधान में जो कुछ लिखा गया है, उसमें राज्य सभा की भूमिका वित्तीय मामलों में गौण हो जाती है और विशेष वित्तीय शक्तियां जो राज्य सभा को मिलनी चाहिए वह हमें नहीं मिल पाती हैं। इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कुछ रखा था, उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस सदन के माध्यम से सारे देश के समक्ष विचारणीय हैं। दोनों सदनों में वित्तीय विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। उनमें एकरूपता होनी चाहिए क्योंकि हम भी जनता के प्रतिनिधियों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जहां लोकसभा का सदस्य 5–7 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं हम सवा करोड़ और डेढ़ करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और राज्य सभा के सदस्य का स्थान लोक सभा के सदस्य से पांच गुणा, सात गुणा अधिक होना चाहिए।

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक): पाण्डेय जी हम राज्यों के प्रतिनिधि हैं।.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हां, हम राज्यों के प्रतिनिधि हैं और सभी राज्य अपने-अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं और हम इस तरह भारत की राज्य सभा एक गुलदस्ते की तरह बनती है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और और अण्डमान निकोबार समूह से लेकर हमारे हिमालय तक के लोग इस सदन के सदस्य बनकर आते हैं। इसलिए यह दोहरा मानदंड, वित्तीय मामलों में एक कमी है हमारे संविधान की और इसलिए वित्तीय विधेयक केवल लोक सभा द्वारा ही पारित न हों, राज्य सभा को भी इस संबंध में अधिकार दिए जाए। साथ ही डिमांड्स फार ग्रांट्स भी दोनों सदनों द्वारा पारित होनी चाहिए। जो वित्तीय अधिकार लोक सभा को है, वह राज्य सभा को नहीं है। हमारे देश की परिस्थितियां 40–42 वर्षों में काफी बदली हैं। इसके अलावा हम पर्मानेंट बाडी है। राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है। हमारे वन-थर्ड मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं, लेकिन हम कन्टीन्यू प्रोसेस में काम करते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं पांच वर्षों में और कभी-कभी बहुत से नेता मिलकर इस देश में सरकार बनाते हैं। इस तरह के दो-दो प्रयोग हमने किए हैं। एक सरकार 30 महीने तक चली सन् 77 से 80 तक और दूसरी सरकार 11 महीने तक चली सन् 89 से 90 तक तो बिना सिद्धांत के, बिना कार्यक्रम के केवल शासन करने के लिए जब लोकसभा सर्वदलीय सरकार चुनती है तो उसका कार्यकाल बड़ा लिमिटेड हो जाता है, बड़ा सीमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह जो संशोधन आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे विधि वेत्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, "भारतीय संविधान अनुच्छेद–109 के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोक सभा को वित्तीय विधेयक के मामलों में अधिक शक्तियां प्रदान करता है। जहां तक राज्य सभा का प्रश्न है, वित्तीय विधेयक राज्य सभा यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन में पहले पुरःस्थापित नहीं होता है।" यानि लोक सभा में पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है और जब तक लोक सभा इस पर विचार करे

(डा० रत्नाकर पाण्डेय)

और इसे पारित न कर दे, यह राज्य सभा में विचारार्थ नहीं आता है। यह बहुत बड़ा विभेद है और विभेद इसलिए है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया दूर है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक-दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो राज्य सभा और लोक सभा के बीच में यह जो देश की 85 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारी विडंबना है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और मैं मांग करूंगा कि इसे सरकार अपने फार्म में सरकारी प्रस्ताव के रूप में सरकारी संशोधन विधेयक के रूप में जो कुछ रजनी रंजन साहू जी ने प्रस्तुत किया है ला करके इस विभेद को, इस डिसपैरिटी को हमेशा के लिए दूर करे। राज्य सभा में लोक सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक आने पर उसे अधिकार है कि या तो वह उसे लोक सभा द्वारा पारित रूप में स्वीकार कर ले या उसमें संशोधनों के सुझाव देते हुए उसे लोक सभा को वापस कर दे। राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोक सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर लोक सभा, राज्य सभा द्वारा सुझाए संशोधनों को अस्वीकार कर देती है तो विधेयक, चाहे वित्त विधेयक हो मूल रूप में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। वित्त विधेयक तब भी पारित समझा जाएगा जबकि राज्य सभा उसे बगैर किसी सिफारिश के उसें लोक सभा को लौटा दे अथवा 14 दिनों तक बगैर लौटाए लंबित रख लें। हमें सर्वोच्च सदन राज्य सभा को बिना मां-बाप का बच्चा समझने की भूल जो संविधान में की गई है और संरक्षणविहीन स्थिति में ला दिया गया है या बड़े चिंता की बात है। जनतंत्र में विश्वास करने वाली इस देश की शक्तियों के लिए जो लोग अधिकार कर्त्तव्य और संविधान की बात करते हैं और इस की जनता निरक्षर हो सकती है अनपढ़ हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वह अपने सर्वोच्च सदन के सदस्यों को चाहती है कि अधिकाधिक अधिकार मिलें और लोक सभा से अधिक इसको अधिकार मिलें क्योंकि हम परमानेंट बाडी हैं। हम कभी भंग नहीं होते हैं। राज्य सभा सतत प्रक्रिया में चलने वाली जनतंत्र की वह शक्ति है जिसके बल पर इस देश में जनतंत्र चल रहा है और लोक सभा भंग होती रहती है। यह उसके साथ तरफदारी में मानता हूं और उस तरफदारी को दूर करना नरसिंह राव जी की सरकार का परम पावन कर्त्तव्य है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस कर्त्तव्य को केवल कसौटी पर समाजवाद के, केवल कसौटी पर जनतंत्र की, कसौटी पर संविधान के और कसौटी पर विश्व के जनतांत्रिक मूल्यों को रख करके भारतीय नीति, रीति और प्रकृति के अनुरूप बनाने की कोशिश की जायेगी और यह संविधान संशोधन जो रजनी रंजन साहू जी ने रखा है उसको सरकार एक नए संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत करेगी।

वित्त विधेयकों के बारे में लोक सभा को अधिक शक्तियां देने के कारण उसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होने के अलावा मंत्रिपरिषद भी उसके प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रावधान लिया गया है। सैकड़ों वर्ष तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर हकूमत की और उसके संविधान को हम अपने ऊपर लागू करें, यह सोचने की बात है और यह मानसिक रूप से परतंत्रता का जो दबाव है उससे परे मैं इसको नहीं मानता। जहां हाउस आफ कामन्ज की ताकत हाउस आफ लार्ड के मुकाबले बहुत अधिक वित्तीय शक्तियां ब्रिटिश संसद को प्राप्त हैं, उसी चीज को हम यहां भी भारत में लागू करें। यहां पूर्ण गणतांत्रिक जनतांत्रिक में हमारा विश्वास रहा है और जिस रूप में हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं उसमें अंत्योदय, सर्वोदय, समाजवाद और जो सब से गरीब और पिछड़ा हुआ तबका है, चाहे सामाजिक प्रतिस्पर्द्धा की दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे मानसिक दृष्टि से, उन सब के प्रतिनिधि का बोध हमें रखना होगा। 14 दिनों तक का हिसाब राज्य सभा में वित्त विधेयक आ जाए तो 14 दिनों तक का टाईम हमको दिया जाता है उस तिथि से, जब कि उसे राज्यसभा के

पटल पर रखा गया है, 14 दिन की अवधि हमको विचार के लिए मिलती है। हम उस पर विचार करें या ध्वनिमत से पास कर दें। लेकिन, होता क्या है, कि जब सेशन का अन्त होने को होता है तो बहुत से वित्त-विधेयक हम इस सदन में ध्वनिमत से पास करते हैं, उसकी चर्चा ही नहीं होती। इस संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण दृष्टान्त देना चाहूंगा कि 1 अगस्त, 1955 को, उपाध्यक्ष जी, जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस पर कभी मावलंकर साहब बैठते थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी ...(व्यवधान)...

श्री हेच० हनुमनतप्पा : मिनिस्टर इण्टरवीन करके कमिट कर सकते हैं।

डा० रत्नाकर पारछेय : करेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Minister has to reply.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The Minister has to reply. Let the Minister commit.

डा० रत्नाकर पारछेय : जब आप जैसे हमारे पार्टी के ट्रेजरर बैठे हैं तो होकर रहेगा। मैं कह रहा था कि 1 अगस्त, 1955 को लोक सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर जी ने एक निर्णय दिया था सभापति के आसन से, कि चूंकि राज्य सभा को भी वित्त-विधेयक पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिए इसलिए वित्त-विधेयक को उसी समय राज्य सभा के विचारार्थ भेजना चाहिए जब राज्य सभा का सत्र चल रहा हो, चाहे फिर लोक सभा उसे पहले ही पारित क्यों न कर चुकी हो। जब लोक सभा के अध्यक्ष मावलंकर जी ने सन् 1955 में नेहरू जी के काल में यह व्यवस्था दी थी तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्यों इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा कि जब राज्य सभा सेशन में हो तभी राज्य सभा में वित्त-विधेयक विचारार्थ भेजा जाए, चाहे लोक सभा उसे पहले ही क्यों न पारित कर चुकी हो? इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। संवैधानिक लोक सभा और राज्य सभा के सभापति के आसन पर बैठकर जो व्यवस्थायें इस देश के हमारे पुरखों ने दी हैं उसको टालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और उनका पालन अवश्य होना चाहिए। इसको सारा सदन स्वीकार करेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान धन-विधेयक एवं वित्त-विधेयक में अन्तर करता है। अनुच्छद 110 के अनुसार धन-विधेयक वह विधेयक है, जिसके पारित होने पर सरकार को भारत की संचित निधि में से धन निकालकर खर्च करने का अधिकार मिल जाता है अथवा उसमें या आकस्मिक निधि में धन जमा करने का अधिकार मिल जाता है। रजनी रंजन जी ने अनुच्छेद 110 और 117 पर विशेष जोर दिया है और बहुत से अनुच्छेदों को उद्धृत किया है। मैंने इनकी स्पीच आज दोपहर में बहुत कन्सनट्रेट होकर पढ़ी है। उस स्पीच में एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं है बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरने वाला इनका वक्तव्य है। अनुच्छेद 117 के अनुसार विधेयक है, जो अनुच्छेद 110 के उपबंध "क" से "च" में से किसी एक की विषय-वस्तु के बारे में प्रावधान करते हैं, जैसे नया कर लगाना। ऐसे विधेयकों को संसद के समक्ष लाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है और यह लोकसभा में ही पुनर्स्थापित हो सकता है। क्या इससे बढ़कर कोई विभेद हो सकता है? लोक सभा में ही क्यों पुनर्स्थापित हो सकता है? पहले राज्य सभा में इसको पुनर्स्थापित होना चाहिए क्योंकि यह सर्वोच्च सदन है और देश के प्रत्येक राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। हम लोकसभा के सदस्यों से सात गुना, आठ गुना ज्यादा जन-प्रतिनिधित्व का अधिकार रखते हैं। इसलिए वित्त विधेयक राज्य सभा में लोक सभा से किसी मायने में कम महत्व के साथ न रखा जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्तीय मामलों में आस्ट्रलिया के सीनेट का...(समय की घंटी) महोदय, थोड़ा समय और दें, बड़ा प्रीपयर किया है।...

श्री हेच० हनुमनतप्पा : बहुत अच्छा है। सर, प्राइवेट मेम्बर में टाइम रेस्ट्रक्शन थोड़ा कम ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अभी तो ब्रिटेन का कहा है, आस्ट्रेलिया का बोलूंगा और 117 और 110 अभी मैंने कोट ही नहीं किया है ।...(व्यवधान)...

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: (Bihar): He is raising very relevant points. Please give him more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please try to conclude.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : राज्य सभा की तुलना में वित्तीय मामलों में आस्ट्रेलिया की सीनेट को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें फर्क इतना है कि हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स के मुकाबले विनियोग विधयकों तथा टैक्स या करों का प्रस्ताव करने वाले विधेयकों की पुनःस्थापना सीनेट में नहीं हो सकती है। आस्ट्रेलिया के भी संविधान का बहुत कुछ अच्छा भाग हमने लिया है और राज्य सभा में बहुत बड़ी-बड़ी विभूतियां रही हैं। हमारे राज्य सभा में सदन के भूतपूर्व नेता स्वर्गीय जय सुखलाल हाथी ने कहा था कि "हालांकि संविधान ने वित्तीय मामलों में राज्य सभा की शक्तियों को कम कर दिया है, फिर भी इस बारे में राज्य सभा की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती।"

संघ का वार्षिक बजट दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। राज्य सभा में प्रतिवर्ष सामान्य बजट, रेल बजट, वित्त विधेयकों पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श होता है जिसके द्वारा देश में वित्तीय प्रशासन के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की जाती है। राज्य सभा के सदस्य भी संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी तथा सरकारी उपक्रम समिति में शामिल होते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। माननीय सभापति मैं तो आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करूंगा इस सरकार से और संसद से—जब दोनों सदन मिलते हैं, राज्य सभा और लोक सभा, तभी संसद बनती है—कि भारत में गणतंत्र की स्थापना होने के बाद से आज तक जो हमारा बजट है, जो आर्थिक खर्च का विवरण है, वह लोक सभा में रखा जाता है, लेकिन मैं आज इस सदन के माध्यम से देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम सर्वोच्च सदन हैं तो अगले वर्ष से पहले वित्तीय मामलों के बजट और भारत सरकार का बजट, सन् 1992-93 का बजट, राज्य सभा में पहले प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद लोक सभा में प्रस्तुत किया जाए। नई परम्परायें हमें स्थापित करनी होंगी अगर जनतंत्र में हमारा विश्वास है और हम अगर लोक सभा के सदस्यों के सात आठ गुना अधिक जनप्रतिनिधित्व का अधिकार रखते हैं तो मेरे इस प्रस्ताव पर गंभीरता के साथ देश के संविधान निर्माता और संसद सदस्य, चाहे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, इस पर विचार करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Are you demanding that it should be placed here first every year or it should be done alternately?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अल्टरनेट । एक साल हमको मौका मिले, दूसरे वर्ष लोक सभा को मौका मिले और इस तरह जो परस्पर सम्बन्धों की बात होती है—कभी लोक सभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्य होते हैं तो कभी राज्य सभा के सदस्य लोक सभा के सदस्य होते हैं, इसलिए अच्छी तरह तारतम्यता का निर्वाह हो और हम पारिवारिक वातावरण का अनुभव तो करते ही हैं, कार्यों में भी बराबर के हकदार बनकर हम देश को और दुनियां के लोगों को दिखा सकें कि जनतांत्रिक मूल्यों में और संविधान में हम नए-नए परिवर्तन करते हैं। नदी की धारा में बंधे-बंधाए रास्ते पर तो सभी चल लेते हैं, वे महान होते हैं जो नए रास्तों का निर्माण करते हैं। नदी की धारा को जो मोड़ देते हैं वही भगीरथी कहलाते हैं। भारत हमेशा नया कुछ करने से नेतृत्व करता रहा है और उस नेतृत्व की साख पर मैं कहना चाहूंगा कि नया स्वरूप हमारे संविधान को मिले और वित्त बजट को अगले वर्ष राज्य सभा में प्रस्तुत करके दुनिया को हमें एक मिसाल देनी चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Do you want to say something about the Estimates Committee also? The Membership of the Rajya Sabha....

DR. RATNAKAR PANDEY: Be it the Estimates Committee, Public Accounts Committee or any other Committee my point is we should get equal importance.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Equal importance. That is the point.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जबकि हम यहां लोक सभा के सदस्यों से सात गुना जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं ।

श्री शांति त्यागी : उपसभाध्यक्ष जी, कल बजट वहां भी रखा जाये और यहां भी रखा जाये । . . . (व्यवधान) ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यहां तो बजट केवल टेबिल कर देते हैं । अगले साल पहले यहां रखा जाये ।

सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और दलीय आधार पर हमारे दल से मतभेद रखने वाले इस सदन के सदस्य और अब लोक सभा के सदस्य श्री जसवंत सिंह ने यहां एक बार कहा था कि राज्य सभा की स्थिति हाउस आफ लार्ड्स जैसी महत्वहीन नहीं है । उसका विघटन नहीं होता और राज्य सभा एक स्थाई सदन है । केवल एक तिहाई राज्य सभा सदस्य जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं । मंत्री-परिषद् में भी राज्य सभा के सदस्य शामिल होते हैं और उनके पास वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी होते हैं । वर्तमान वित्त मंत्री भी राज्य सभा ने ही दिया है । सोने पर ही देश की साख होती है, जिसको पिछली सरकारों ने बाहर भेज दिया था । वर्तमान वित्त मंत्री जिसको राज्य सभा ने भारत सरकार को दिया है, उसकी एक क्रेडिट है कि सारा सोना जो गिरवीं रखा गया था, उसको वापिस लाये और स्टेट बैंक में गोल्ड रोटेट हो रहा है और आज फिर साख बन रही है और इस देश की डगमगाती हुई आर्थिक नैया को खेने का भार उन्होंने लिया है और इस देश का आर्थिक आधार वे किनारे पर लगायेंगे । आज विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है । वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी जाती है कि क्या कोई जालसाजी हमारी सरकार ने किया है, इस तरह से माहौल बनाना चाहते हैं ।

कल हमारा बजट रखा जाएगा और सारे देश की और सारी दुनियां की आंखें खुल जायेंगी । जब इस देश को राजीव गांधी ने छोड़ा था तब हम आर्थिक दृष्टि से छटे स्थान पर थे । परन्तु वी० पी० सिंह की सरकार और चन्द्रशेखर की सरकारों ने इसको 27वें स्थान पर पहुंचा दिया और अब हमारी नरसिंह राव जी की सरकार राजीव गांधी जी के इक्कीसवीं सदी के सपने को साकार करके दिखायेगी कि इक्कीसवीं सदी में हम दुनियां के सबसे बड़े राष्ट्र बनेंगे और कोई ताकत हम को नहीं रोक सकती ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.A. BABY): Now please wind up.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : दो-तीन मिनट और, सर । देश में संसदीय लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि दोनों सदन मिलकर काम करें । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान के अन्तर्गत संसद की दोनों सभाएं—लोक सभा एवं राज्य सभा से मिलकर संसद बना है । नेहरू जी को मैं उद्धृत कर रहा हूं । प्रत्येक सदन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है । हमारा इतिहास ब्रिटेन के इतिहास से भिन्न है । अतः ब्रिटेन में प्रचलित परम्पराओं का हमें अनुसरण नहीं करना चाहिये, जिसका अनुसरण करते हुए राज्य सभा की वित्तीय शक्तियों को लोक सभा के मुकाबले में कम रखा गया है । हमारी पथ-प्रदर्शक ब्रिटिश परम्पराएं न होकर हमारा अपना एक इतिहास, हमारा अपना जीवन-दर्शन, हमारा एकोहम बहु स्यामी, विविधता में एकता का हमारा जो स्वरूप है, जहां अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक रीति-रिवाजों में विश्वास करते हैं, अनेक धर्मों की पूजा करते हैं, अनेक जाति, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा और व्यवहारों में जीवित रहकर भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हैं, वहां

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

हमारा इतिहास हमें गौरवशाली अतीत की ओर प्रेरणा देने के लिये दिखाता है, हमारा पुराण हमें उत्तिष्ठ जाग्रत पराभूत की अपूर्व शक्ति प्रदान करता है और मृत प्राणों में भी और मृत स्नायुओं में भी जिनमें रक्त संचार नहीं होता है, नयी शक्ति, नया ऊर्जा, नया ओज और नयी शक्ति प्रदान करता है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर परिवर्तन में विश्वास करते हैं ।

क्षणे क्षणे: यानीमुपैत्यरूपं तदेवरूपं रमणीयतायाः ।

क्षण क्षण जो परिवर्तित होता है, उसीमें रमणीयता अपना स्वरूप बिखेरती है, अंकित करती है और प्रकृति और रमणीयता एक दूसरे के पूरक हैं । संविधान कोई निर्जीव किताब नहीं है । संविधान हमारा वह दस्तावेज है जिसको हम पूजा की वस्तु मानते हैं । वह जनतंत्र का बाईबिल, गीता और कुरान है और समय-समय पर जैसे इन महान ग्रंथों में हम क्षेपक जोड़ते हैं, हम नयी चीज जोड़ते हैं, गुरुवाणी हमारी इस्लामिक संस्कृति की पुस्तकें, ईसामसीह के उपदेश, जैनियों के उद्गार, बौद्धों के त्रिपुटिक के सूत्र, जो भी हमारे विविध ज्ञान के आयाम हैं, जो संस्कृति, धर्म और आत्मीयता का वातावरण उत्पन्न करते हैं, उन सब में हमारा राष्ट्र अखंड रहे और उस अखंडता का सबसे पवित्र दस्तावेज हमारा संविधान है और उसका सर्वोच्च सदन राज्य सभा है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन) पीठासीन हुईं ।]

इसलिए माननीय साहू जी ने जो मूल संशोधन रखा है उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन्होंने कहा है कि :

"संविधान के अनुच्छेद 112 और 117 संसद में वित्तीय मामलों की प्रक्रिया को अधिकथित करते हैं । वित्तीय मामलों में लोक सभा को प्रधान भूमिका दी गई है । बजट को केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । अनुदान मांग भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करनी होती है । लोक सभा द्वारा अनुदान मांगों को स्वीकार किए जाने और विनियोग विधेयकों को पारित किए जाने के बाद राज्य सभा की भूमिका आरंभ होती है । तथापि हाल की घटनाओं ने दर्शाया है कि ये वित्तीय उपबंध केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए ही हैं । निस्संदेह कोष की बागडोर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सभा के हाथ में ही होनी चाहिए । तथापि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब कि लोक सभा को विघटित कर दिया गया हो या कोई ऐसी नियमित सरकार बनाना संभव न हो जो ऊपर उल्लिखित अनुच्छेदों के अनुरूप नियमित बजट प्रस्तुत कर सके । राज्य सभा एक सतत निकाय है जो कभी विघटित नहीं होती है । जिस प्रकार अनुच्छेद 352 और 356 के अधीन राज्य सभा, लोक सभा के विघटित होने की स्थिति में, उक्त अनुच्छेदों के अधीन जारी की गई उद्घोषणाओं की अवधि बढ़ा सकती है, यह महसूस किया जाता है कि उसी प्रकार लोक सभा के विघटित होने या किसी सरकार द्वारा कार्य न किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकने वाली अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए समान शक्तियां राज्य सभा को प्रदान की जानी चाहिए । अतः इस विधेयक के द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए संविधान में एक उपबंध अंतःस्थापित करना चाहा गया है ।

महोदया, साहू जी संविधान के अनुच्छेद 117 में परिवर्तन चाहते हैं । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मैं संविधान की उन प्रक्रियाओं में जाऊंगा तो सदन का घंटों समय लग जाएगा । मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि साहू जी ने निम्न अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 117 के पश्चात् जोड़ना चाहा है —

"यदि किसी समय लोक सभा को विघटित कर दिया गया हो या उसे विघटित कर दिया जाए या किसी अन्य आकस्मिकता में जब इस संविधान के अधीन अपेक्षित कोई वित्तीय कार्य लोक सभा द्वारा समय पर पूरा न किया जा सकता हो, तो राज्य सभा को किसी भी वित्तीय मामले या भारत की संचित निधि से धनराशियों का विनियोग करने वाले किसी विधेयक के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो अब से पहले लोक सभा को प्राप्त थी तथा इस भाग के उपबंध ऐसे परिवर्तनों और रूपांतरणों, जैसे कि राज्य सभा के सभापति निदेश दें, के साथ लागू होंगे ।

लोक सभा द्वारा पारित किए गए बिना इस अनुच्छेद के अधीन राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक का, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी अधिनियम का होता है ।

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी वित्तीय मामले या भारत की संचित निधि से धन राशियों के विनियोग के लिये राज्य सभा द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर लोक सभा द्वारा, उसे पुनर्गठित किए जाने के पश्चात् उसकी पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर पुनर्विचार किए जाने की उसकी शक्तियों को अल्पीकृत नहीं करेगी तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् उस मामले या विधेयक, को, जैसी भी स्थिति हो, और विचार करने के लिए राज्य सभा को प्रेषित करना आवश्यक नहीं होगा तथा उसे लोक सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए गए रूप में ही संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया माना जाएगा ।"

महोदया, मैं अधिक न कहकर इस सर्वोच्च सदन की गरिमा को देखते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें वित्तीय अधिकार के रूप में पास करने का स्थायी स्वरूप प्रदान नहीं किया गया है । हम हृदय से, आत्मा से, मन से उसको स्वीकृति नहीं देते । हमें 14 दिन के भीतर चाहे लोक सभा जब भी भेजे, चाहे सदन सत्र में हो या न हो, हमें उसे पास करना ही होता है । ध्वनि मत से वह पास हो जाता है और जैसा मैंने पहले कहा है हर वर्ष जितनी समितियां बनती हैं उनकी रिपोर्ट में दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित हों, प्रपोर्शनेट हमारा पड़ता है कि यदि 20 लोक सभा के सदस्य हैं तो 10 राज्य सभा के हों । तो राज्य सभा को लोक सभा की तरह एक विशेष स्वरूप प्रदान किया जाए वित्तीय मामलों में । हम स्थायी बॉडी हैं, हम डिसॉल्व नहीं होते हैं । जैसे गंगा की पवित्र धारा हिमालय से निरंतर बहती रहती है वैसे ही भारतीय जनतंत्र की गंगा राज्य सभा है जो गंगा की तरह निरंतर प्रवाहित होती रहती है । लोक सभा भंग होती है, रूक जाती है और उसका स्वरूप विघटित हो जाता है । ऐसी स्थिति में इस स्थायी स्वरूप को नष्ट न किया जाए । उसको अधिक से अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाएं और लोक सभा की जो सुप्रीमेसी बनी हुई है उसके स्थान पर हमको इक्वलिटी प्रदान की जाए । हम बराबरी का दर्जा चाहते हैं । अगर ऊंचा न दिया जाए तो बराबरी हमें दी जाए । इस समय माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । मुझे विश्वास है कि वह सदन को आश्वासन देंगे कि श्री रजनी रंजन साहू जी जो विधेयक लाए हैं उसमें वह इंटरवीन करें, प्रधान मंत्री जी इंटरवीन करें और हमें आश्वासन दें कि सरकार इसके लिए विधेयक लाएगी, संविधान संशोधन विधेयक लाएगी जो वित्तीय मामलों में राज्य सभा को और अधिक अधिकार देने के लिए उसको संशोधित और परिष्कृत करने के लिए कदम उठाएगी । सरकार इसके लिए इस सदन में विधेयक लाएगी लोक सभा में लाएगी उसको स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन सरकार को हमें देना चाहिए ।

महोदय आपने चूंकि शालीनता का परिचय दिया है इसलिए मैं उस शालीनता का सम्मान करते हुए अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि चाणक्य ने कहा था —

वस्त्रा: वाणी: वभू: वाक्शक्ति: वाहन:
दुर्ग: दंड: कोश:

यानी वस्त्र होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, रहने का स्थान होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, दुर्ग यानि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और वित्त होना ही चाहिए । अगर राजनीति के अंग विभिन्न राजनीतिक दल हैं, देश के प्रत्येक हिस्से के प्रतिनिधि हैं तो दंड का अधिकार राज्य सभा को होना चाहिए । इसके लिए राज्य सभा के पास कोश होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए । वित्तीय मामलों में केवल फारमेलिटी अदा करने और ध्वनि मत से वित्तीय विधेयकों को पास करने की मशीन बनाकर इस देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है । राज्य सभा इस देश की सर्वोच्च स्थाई संस्थान है, उसकी सर्वोच्च गरिमा है, उसको नीचे न करें । बिना वित्तीय अधिकार के वह नीची, गिरी हुई

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

नजर आएगी । इसलिए राज्य सभा को वित्तीय ताकत मिलनी चाहिए । वित्तीय मामलों में हमारे अधिकार लोक सभा अगर हम होंग और हम संसद के अंग हैं तो यह उचित नहीं लगता कि लोक सभा से हमारे अधिकार किसी तरह कम हों जब कि राज्य सभा उच्च सदन है ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुभवी सांसद विद्वान श्री रजनी रंजन साहू जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं उसका पुरजोर समर्थन करता है और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको लौटाने का आग्रह न करें बल्कि सदन को आश्वासन दें कि सरकार अपनी ओर से इसके लिए विधेयक लाएगी और राज्य सभा की गरिमा को ऊंचा करने के लिए दुनिया के जनतंत्र को रोशनी देने के लिए, एक नया दस्तावेज पेश करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से सरकार एक विधेयक लाएगी और इस चीज को स्वीकृति देगी ।

धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Hon. Members, Shri M.A. Baby, who was in the Chair, could not introduce the Bill standing against his name. Therefore, is it the pleasure of the House that he be granted permission to introduce his Bill?

HON. MEMBERS: Yes.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (TO AMEND ARTICLE 77)

SHRI M.A. BABY (Kerala): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. A. BABY : Madam, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We will continue with the Constitution (Amendment) Bill, 1991. Shri Ram Awadhesh Singh, not here. Shri Kulabidhu Singh.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (INSERTION) OF NEW ARTICLE 117A)—*Contd.*

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Madam Deputy Chairperson, normally I am madical in thought and action, but today & take the conservative role in the sense that I don't like the amendments brought by Shri. R. R. Sahu our respected friend. Our constitution has borrowed from the constitutions of many countries in the world, and primarily from the British model, the House of Lord and the House of commons. In the tenth and eleventh centuries the Commoners of England wanted their representation in a historic movement—"No taxation without representation". That was the cry of the British people, the Commoners. Under the British Constitution, a two-tier system, the House of Lord: and the House of Commons, is going on. Our founding fathers borrowed much of the thoughts from the British Constitution and we don't like to disturb that model. In India, Lok Sabha is directly elected by the people and the Council of States, Rajya Sabha, is indirectly elected. There is no reason to suffer from an inferiority complex. It is not that the Council of States is divested of financial powers. It is not a question of being deprived of powers in financial matters. It is a question of specialisation of the matters. Rajya Sabha is to specialise on some other superior matters, keeping checks and balances on what the Lower House has done. If there is any loophole or something like that, we are here to fill up the gaps, to correct mistakes, to revise and rethink it. Our role is to check and balance. In the House of Lords their judicial functions are presecribed. It is also a part of the judiciary. It is only a question of specialisation of duties between the House of Commons and the House of Lords, not that the House of Lords is superior or the House of Commons is superior because they are engaged in financial matters too. So we should not suffer from any complex of inferiority that we are deprived of financial business. It is after all a profit and loss account. It is a plusminus business. Why should we go into this affair of plus-minus business, profit and loss account of the exchequer of the State ? Of course, it is an important thing, but there should be specialisation in the matter. We should not prefer to get into these Money Bill matters. Let it be the business of the Lower House. After all, we are human beings. Man likes power. We want financial powers. True, but we have some more onerous tasks. They are merely doing financial business plus profit and loss account. In this connection I remember an aspect. Nowadays the Supreme